dk;kZy; iath;d
lgdkjh lLFkk,]NRRkhlx<

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

---

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2020 / 4380 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त
छत्तीसगढ,

विषयः– विभागीय प्रकरणों / शिकायतों के निराकरण के संबंध में।

विषयांतर्गत कार्यालयीन पत्राचार एवं नस्तियों के प्रचलन में यह लगातार देखा जा रहा है कि संभागीय एवं जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यालय स्तर से निराकरण हेतु प्रेषित प्रकरणों / शिकायतों पर अधिनियम / नियम तथा निर्देशों के तहत निराकरण न करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाते है। इससे शासकीय समय एवं संसाधन दोनों की बर्बादी होती है जो कि कतई उचित नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासनिक / विभागीय मामलों में शासन तथा मुख्यालय स्तर से निर्देश तथा वित्त विभाग द्वारा वित्तीय मामलों में अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रसारित किये गये है तथा छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं द्वारा विभागीय अधिकारियों के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। अतः उक्त नियम / निर्देशों का पालन करते हुए प्रकरणों का निराकरण सक्षम स्तर पर किया जाना चाहिए।

विभागीय प्रकरणों के निराकरण में यह परिलक्षित हो रहा है कि समिति स्तर की जो शिकायतें जॉच एवं कार्यवाही हेतु सहायक / उप / संयुक्त पंजीयक को भेजी जाती है, उन्हें बिना किसी गुणात्मक विश्लेषण किए, मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।जिनके निराकरण हेतु छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत वे सक्षम है। सहकारी बैंकों के शिकायतों में जॉच एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु समस्त शक्तियां संयुक्त पंजीयक में वेष्ठित है, परन्तु उनके द्वारा सामान्यतः उन शिकायतों का निराकरण न करते हुए पंजीयक कार्यालय को जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संभाग / जिला स्तरीय संस्थाओं की शिकायतों के संबंध में आपको अधिनियम / नियम के तहत वेष्ठित शक्तियों के अंतर्गत निम्ननुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः–

1. जिन शिकायतों में जॉच पूर्ण हो चुकी हो तथा जिनका प्रतिवेदन पंजीयक या शासन को प्रेषित किया गया हो या नहीं किया गया हो, उन पर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करें।

2. जो शिकायतें निराधार पायी गयी हो, उनको नियमानुसार परीक्षण कर नस्तीबध्द करने का निर्णय लेवें।
3. जिन शिकायतों में जॉच या कार्यवाही लंबित हो, उनमें जॉच पूर्ण की जाकर 03 माह में अनिवार्यतः नियामानुसार वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण की जावें।
4. जिन प्रकरणों में मुख्यालय स्तर से कार्यवाही अप्रेक्षित हो वहां साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए, ताकि प्रकरणों का सुगमता पूर्वक शीघ्रता से निराकरण किया जा सकें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2020/4380 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रतिलिपिः—

विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ